



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

शुद्धिपत्र

फा. सं.: NCST/DEV-1004/MH/6/2022-ESDW

दिनांक: 11.01.2023

सेवा में,

श्री गोविंद मारुति बोडके
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पालघर,
कार्यालय कलेक्टर एवं जिलाधिकारी पालघर,
पालघर-बोईसर रोड, कोलगांव,
पालघर-401404
महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.palghar@maharashtra.gov.in

विषय: महशुल गाँव : चांदवड की मालिकाना वन जमिन गट/ सर्वे क्र. 89 मे से सूर्या मिनी चेक डेम्स के लिए अर्जदार की मालिकाना जमिन पाणी ले जाने के लिए उपयोग मे लाया गया है, मगर प्रशासन के माध्यम से कोई मुआवजा या प्रकल्प पीडित को आज तक नहीं देने के संदर्भ मे श्री वनश्या धर्मा करमोड़ा, गाँव रायतली (दलवीपाड़ा), पोस्ट-गंजाड़, तहसील-डहाणु, जिला-पालघर, महाराष्ट्र-401602 का अभ्यावेदन।


महोदय,

उपरोक्त विषय पर एन.सी.एस.टी. के समसंख्यक नोटिस दिनांक 01.02.2023 के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि नोटिस की तिथि अर्थात् 01.02.2023 को 02.01.2023 पढ़ा जाए।

संलग्न यथोपरि.

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री वनश्या धर्मा करमोड़ा,
गाँव रायतली (दलवीपाड़ा),
पोस्ट-गंजाड़, तहसील-डहाणु,
जिला-पालघर,
महाराष्ट्र-401602


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

०८

13/1/23
479-480

जारी किया
ISSUE